# न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

**(लोकेश कुमार गौत्तम,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)**

प्रकरण संख्या 17/2018

शकंर मीणा पुत्र जगदीश मीणा निवासी कासिमपुरा पोस्ट चौरू तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

—प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**<u>निर्णय</u>** **दिनांक 10.05.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 04.01.2018 प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलेक्टर टोंक द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन पत्र को दिनांक 09.01.2018 से लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा को अन्तरित किया गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

1—पुराने खसरे नम्बर रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा ग्राम तन चौरू मय बनाये गये सम्पूर्ण नवीन खसरा नम्बर मय किता।

2—श्रीमान जिला कलेक्टर टोंक को लोक अदालत केम्प चौरू मे दिनांक 01.06.2017 को प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र पर अब तक की गई कार्यवाही।

3—श्रीमान उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष दिनांक 05.01. को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की अब तक की गई कार्यवाही।

4—श्रीमान सरपंच साहब चौरू को दिनांक 01.06.2017 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जरिये समस्त ग्रामवासी चौरू के अब तक की गई समस्त कार्यवाही।

5—तहसीलदार उनियारा को ग्रामवासी कासिमपुरा दिनांक 29.05.2017 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की अब तक की कार्यवाही।

6—राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत क्रमांक 09170782564109 मे अब तक की समस्त कार्यवाही की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा को पत्र क्रमांक 524 दिनांक 27.03.2018,572 दिनांक 09.04.2018,638 दिनांक 16.04.2018 व 696 दिनांक 26.04.2018 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उनियारा ने पत्र क्रमांक 2063 दिनांक 03.05.2018 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 1656 दिनांक 06.04.2018 से रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचना उपलब्ध करवादी गई है। प्रार्थी के उपस्थित न होने से यह जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार उनियारा से प्राप्त सूचना से अपीलार्थी सहमत है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

10/5

(लोकेश कुमार गौत्तम)
**जिला कलेक्टर एंव**
**प्रथम अपील अधिकारी टोंक**

जिला कलेक्टर टोंक (राज.)